सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2021/359 दर्ज तिथिः—02.12.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. हरीराम पुत्र हेमाराम जाति विश्नोई निवासी अरटवाव पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—तहसीलदार गुडामालानी
अप्रार्थीगणः— श्री रामजीवन विश्नोई

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—05.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा संख्या 500/1 मौजा अरटवाव तहसील गुडामालानी में मौके पर एक कदीमी रास्ता चालू है। जिसको राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

2. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/225 दिनांक 26.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

वक्त निरीक्षण खसरा संख्या 501/1 की भूमि पर रास्ता नहीं है।
रिकॉर्ड में अंकित रास्ते की भूमि पर रवी फसल बोई हुई है।

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/225 दिनांक 26.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:29:41 IST
Reason: SelfAttested

कदीमी रास्ता चालू नहीं है। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/225 दिनांक 26.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। साथ ही हाजा न्यायालय के प्रकरण संख्या 63/21 में दिये गये आदेश संख्या 456 दिनांक 06.06.2023 की पालना में किये गये राजस्व अंकन को निरस्त कर उक्त आदेश की पालना से पूर्व की राजस्व इन्द्राज की पुर्नस्थिति बहाल की जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी)
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:29:41 IST
Reason: SelfAttested